



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-228

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 273806 दिनांक 24/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Aditya Agarwal S/o PRAKASH CHAND GUPTA एवं Shalini Agarwal D/o Mukesh Kumar Agarwal	श्रीमती रीना बहल पत्नी श्री अनिल बहल	283	400.00 SQ. YARD	Private	PINK CITY ENCLAVE Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना पिकसिटी एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 283 क्षेत्रफल 400 वर्ग गज की लीजडीड श्रीमती रीना बहल पत्नी श्री अनिल बहल के नाम से दिनांक 09.09.2009 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्रीमती रीना बहल द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.10.2022 के द्वारा श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन एवं श्री उमंग स्वामी पुत्र स्व. श्री वेदव्रत स्वामी को कर दिया गया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार जैन एवं श्री उमंग स्वामी द्वारा उक्त भूखण्ड का



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

बेचान जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
18.09.2023 के
द्वारा श्री आदित्य
अग्रवाल पुत्र श्री
प्रकाश चन्द गुप्ता
एवं श्रीमती
शालिनी अग्रवाल
पत्नी श्री आदित्य
अग्रवाल को कर
दिया गया।
आवेदकगण श्री
आदित्य अग्रवाल
एवं श्रीमती
शालिनी अग्रवाल
द्वारा उक्त
भूखण्ड का नाम
हस्तान्तरण हेतु
आवेदन किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Aditya Agarwal S/o PRAKASH CHAND GUPTA एवं Shalini Agarwal D/o Mukesh Kumar Agarwal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |